


सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1396]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 30, 2015/ आषाढ़ 9, 1937

No. 1396]

NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 30, 2015/ ASADHA 9, 1937

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जून, 2015

का.आ. 1777(अ).—निम्नलिखित प्रारूप अधिसूचना, जिसे केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उप-धारा (3) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी करने का प्रस्ताव करती है, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार, जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है; जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा ;

ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आक्षेप या सुझाव देने में हितबद्ध है, इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए, आक्षेप या सुझाव सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 या ई-मेल पते: esz-mef@nic.in पर लिखित रूप में भेज सकेगा ।

प्रारूप अधिसूचना

महाराष्ट्र सरकार ने अपनी राजपत्र अधिसूचना में सं. डब्ल्यू एल पी - 10.07/सीआर 297 /एफ-1, तारीख 27 दिसंबर, 2007 द्वारा महाराष्ट्र राज्य में निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों से मिलकर बनने वाले मेलघाट बाघ आरक्षिती को वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38 (फ) के उपबंधों के अधीन महत्वपूर्ण पर्यावास घोषित किया है, अर्थात्:-

- (i) गूगामल राष्ट्रीय उद्यान (36128.06 ha), जिला अमरावती,
- (ii) वन वन्यजीव अभयारण्य (21100.70 ha), जिला अमरावती,
- (iii) मेलघाट वन्यजीव अभयारण्य (78875.24 ha), जिला अमरावती,
- (iv) नरनाला वन्यजीव अभयारण्य (1235.07 ha), जिला अकोला, और
- (v) अंबावर्वा वन्यजीव अभयारण्य (12711.42 ha), जिला बुलघाना ;

और महाराष्ट्र सरकार ने अपनी राजपत्र अधिसूचना में सं. डब्ल्यू एल पी - 10.-10/सीपी 139 /एफ-1, तारीख 29 सितंबर, 2010 द्वारा वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38 (V) के अधीन 1268.03 वर्ग कि.मी. (920.65 वर्ग कि.मी. वन क्षेत्र और 347.38 वर्ग कि.मी. गैर वन क्षेत्र) को मेलघाट बाघ आरक्षिती के बफर जोन के रूप में घोषित किया है;

और, इस क्षेत्र में प्राणियों और वनस्पतियों की विविधता है तथा इसमें बाघ, तेंदुआ, बाइसन, स्लोथ भालू, वन आउलेट जैसे बड़ी संख्या में वन्य प्राणी पाये जाते हैं तथा बाघ आरक्षिती के वनों में विविधता और समृद्धता है तथा उन्हें चैंपियन और सेठ के वर्गीकरण के अनुसार समूह 5 - उप समूह - 5क - दक्षिणी उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन के रूप में वर्गीकृत किया गया है ;

और, यह बाघ आरक्षिती महत्वपूर्ण नदियों जैसे तापी, गडगा, सिमना, जून का वाटर शेड है और इसमें आदिवासीयों की बहुत आबादी आदिवासी गाँवों में रहती है;

और, मेलघाट बाघ आरक्षिती के बफर जोन को उराने वन्य प्राणियों या उसके पर्यावरण को समृद्ध और विकसित करने की दृष्टि से पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय दृष्टि से संरक्षित करने के लिए परीक्षित करने की अपेक्षा है;

और, पूर्वोक्त वर्णित राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों जो मेलघाट बाघ आरक्षिती का गठन करते हैं, की मानव पर्यावास और चालू विकास कार्यकलापों से अति निकटता उचित सुरक्षोपायों और ऐसे कार्यकलापों पर समुचित नियंत्रण की अपेक्षाओं को आवश्यक बनाती है;

और अब इस क्षेत्र का परिरक्षण और संरक्षण करना आवश्यक है तथा जिसकी सीमाओं को इस अधिसूचना के पैरा 1 में मेलघाट बाघ आरक्षिती के महत्वपूर्ण बाघ पर्यावास के चारों ओर पारिस्थितिकीय संवेदी जोन के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है और पर्यावरण की दृष्टि से उद्योगों या उद्योगों के वर्ग को तथा उनकी संक्रियाओं और प्रक्रियाओं को उक्त पारिस्थितिकीय संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) के साथ पठित और उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महाराष्ट्र राज्य में गूगामल राष्ट्रीय उद्यान, वन वन्यजीव अभयारण्य, मेलघाट वन्यजीव अभयारण्य, नरनाला वन्यजीव अभयारण्य, अंबावर्वा वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से 10 किलोमीटर तक के विस्तारित क्षेत्र को मेलघाट बाघ आरक्षिती पारिस्थितिकीय संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिक संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :-

1. पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं--(1) पारिस्थितिक संवेदी जोन 126803.67 हेक्टेयर के क्षेत्र में फैला हुआ है और जिसमें अमरावती, अकोला और बुलघाना के चिकलधारा, अकोट, तेलहारा और संग्रामपुर तालुका है और पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा का विवरण **उपाबंध I** पर दिया गया है ।

(2) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर आने वाले ग्रामों अक्षांश और देशान्तर की सूची **उपाबंध-II** के रूप में उपाबद्ध है।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन का मानचित्र अक्षांश और देशान्तर के साथ **उपाबंध III** पर उपाबद्ध है ।

(4) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वन और गैर वनक्षेत्र दोनों नीचे दिए गए विवरणों के अनुसार सम्मिलित हैं

क्रम सं.	जिला	वनक्षेत्र हेक्टेयर में	गैर वनक्षेत्र हेक्टेयर में
1	अमरावती	86696.56	12860.54
2	अकोला	1932.43	15967.48
3	बुलधाना	3436.50	5910.16
	योग	92065.49	34738.18

2. पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना -

(1) राज्य सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रयोजनों के लिए राजपत्र में इस अधिसूचना के अंतिम प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से, और इस इस अधिसूचना में यथा विनिर्दिष्ट रीति के सामंजस्य से आंचलिक महायोजना तैयार करेगी।

(2) उक्त योजना का अनुमोदन राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा।

(3) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना को राज्य सरकार द्वारा इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रीति में और सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों तथा केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों, यदि कोई हो के अनुसार भी तैयार किया जाएगा।

(4) मेलघाट वन आरक्षितों का बफर जोन पारिस्थितिक संवेदी जोन का एक भाग है, बफर जोन से संबंधित बाघ आरक्षित परियोजना पर भी आंचलिक महायोजना तैयार करने के दौरान विचार किया जाएगा।

(5) आंचलिक महायोजना संबंधित राज्य विभागों के साथ परामर्श से पर्यावरणीय और पारिस्थितिकीय विचारणों को उसमें एकीकृत करने के लिए तैयार की जाएगी, अर्थात्:-

- (i) पर्यावरण ;
- (ii) वन ;
- (iii) नगर विकास ;
- (iv) पर्यटन ;
- (v) नगरपालिक ;
- (vi) राजस्व ;
- (vii) कृषि ;
- (viii) महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड;
- (ix) सिंचाई; और
- (x) सार्वजनिक निर्माण विभाग,

(6) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचनात्मक और क्रियाकलापों, नहरो और निकासी संकर्मों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि भू-उपयोग, अवसंरचनात्मक और क्रियाकलापों या संकर्मों का ऐसा उपयोग तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन या इस अधिसूचना के अधीन प्रतिषिद्ध न हो।

(7) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलुओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे।

(8) आंचलिक महायोजना सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बंदोबस्तों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, आर्किडों, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यंकन करेगी।

(9) आंचलिक महायोजना स्थानीय समुदायों की जीवकोपार्जन को सुनिश्चित करने का सुनिश्चय करेगी।

3. राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय-- राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात् :-

(1) भू-उपयोग - पारिस्थितिक संवेदी जोन में आमोद-प्रमोद के प्रयोजन के लिए चिन्हित किए गए हैं वनों, उद्यान-कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, पार्कों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक और औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा :

परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर कृषि भूमि का संपरिवर्तन, पैरा 5 के अधीन मानीटरी समिति की सिफारिश पर और राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, स्थानीय निवासियों की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए और पैरा 4 की सारणी के स्तंभ (2) के अधीन मद सं. 10, सं. 16, सं. 22, सं. 28 और सं. 31 के सामने सूचीबद्ध क्रियाकलापों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात होंगे, अर्थात् :-

- (i) पारिस्थितिकीय अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों के लिए पर्यटकों के अस्थायी आवासन के लिए पारिस्थितिकीय अनुकूल आरामगाह जैसे टेंट, लकड़ी के मकान आदि;
- (ii) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और सुदृढ़ करना तथा नई सड़कों का संस्करण;
- (iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;
- (iv) वर्षा जल संचय; और
- (v) कुटीर उद्योग, जिसके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग, सुविधाजनक स्टोर और स्थानीय सुविधाएं भी हैं, :

परंतु यह और कि राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन और संविधान के अनुच्छेद 244 तथा तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या उद्योग विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का उपयोग अनुज्ञात नहीं होगा :

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में उपसंज्ञात कोई त्रुटि मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में केवल एक बार संशोधित होगी और उक्त त्रुटि के संशोधन की भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को सूचना देनी होगी।

परंतु यह और भी कि उपर्युक्त त्रुटि का संशोधन में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा।

परंतु यह और भी कि जिससे हरित क्षेत्र में जैसे वन क्षेत्र, कृषि क्षेत्र आदि में कोई पारिणामिक कटौती नहीं होगी और अनप्रयुक्त या अनउत्पादक कृषि क्षेत्रों में मेलघाट बाघ आरक्षिती की बफर जोन प्रबन्धन योजना के अनुसार पुनः वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे।

(2) प्राकृतिक स्रोतों - आंचलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक स्रोतों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और पुनरुद्भूतकरण के लिए योजना सम्मिलित होगी और राज्य सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्रों पर या उनके निकट विकास क्रियाकलाप प्रतिषिद्ध करने के लिए ऐसी रीति से मार्गनिर्देश तैयार किए जाएंगे।

(3) पर्यटन - (क) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप, पर्यटन महायोजना, जो आंचलिक महायोजना का भाग रूप में है, के अनुसार होंगे।

(ख) पर्यटन महायोजना महाराष्ट्र सरकार के पर्यटन विभाग, द्वारा राजस्व और वन विभाग, महाराष्ट्र सरकार के परामर्श से तैयार होगी ।

(ग) पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नलिखित के अधीन विनियमित होंगे, अर्थात् :-

(i) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी (समय-समय पर यथा संशोधित) मार्गनिदेशों के अनुसार होगा जिसमें पारिस्थितिक पर्यटन, पारिस्थितिक शिक्षा और पारिस्थितिक विकास को महत्व दिया जाएगा और पारिस्थितिक संवेदी जोन की वहन क्षमता के अध्ययन पर आधारित होगा ;

(ii) पारिस्थितिकीय अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों के संबंधित पर्यटकों के अस्थायी निवास के लिए आवासन के सिवाय पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर होटल और रिसार्ट के नए संनिर्माण गूगामल राष्ट्रीय उद्यान, वन वन्यजीव अभयारण्य, मेलघाट वन्यजीव अभयारण्य, नरनाला वन्यजीव अभयारण्य, अंबावर्वा वन्यजीव अभयारण्य, की सीमा के 1 किलोमीटर के भीतर अनुज्ञात नहीं होंगे ।

परंतु राष्ट्रीय उद्यान की सीमा के 1 किलोमीटर के परे पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक नए होटलों और रिसार्टों की स्थापना को पारिस्थितिकीय अनुकूल पर्यटन सुविधाओं के लिए नामनिर्दिष्ट क्षेत्रों में और पर्यटन महायोजना के अनुसार अनुज्ञात किया जाएगा ।

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा मानीटरी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकारियों द्वारा अनुज्ञात किया होगा ।

(4) नैसर्गिक विरासत :- पारिस्थितिक संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे सभी जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातों आदि की पहचान की जाएगी और उन्हें संरक्षित किया जाएगा तथा उनकी सुरक्षा और संरक्षा के लिए इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह मास के भीतर, उपयुक्त योजना बनाएगी और ऐसी योजना जोनल मास्टर प्लान का भाग होगा ।

(5) मानव निर्मित विरासत स्थलों :- पारिस्थितिक संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, कलात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान करनी होगी और इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह माह के भीतर उनके संरक्षण की योजनाएं तैयार करनी होगी तथा आंचलिक महायोजना में सम्मिलित की जाएगी ।

(6) ध्वनि प्रदूषण :- पारिस्थितिक संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा ।

(7) वायु प्रदूषण :- पारिस्थितिक संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा ।

(8) बहिःस्राव का निःसारण :- पारिस्थितिक संवेदी जोन में उपचारित बहिःस्राव का निःसारण जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार होगा ।

(9) ठोस अपशिष्ट :- ठोस अपशिष्टों का निपटान निम्नलिखित रूप में होगा -

(i) पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण, और वन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 908(अ), तारीख 25 सितंबर, 2000 नगरपालिक ठोस अपशिष्ट (प्रबंध और हथालन) नियम, 2000 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ;

2846 GI/15-2

- (ii) स्थानीय प्राधिकरण जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय संचटकों में ठोस अपशिष्टों के संपृथक्करण के लिए योजनाएं तैयार करेंगे ;
- (iii) जैव निम्नीकरणीय सामग्री को अधिमानतः खाद बनाकर या कृमि खेती के माध्यम से पुनःचक्रित किया जाएगा ;
- (iv) अकार्बनिक सामग्री का निपटान पारिस्थितिक संवेदी जोन के बाहर पहचान किए गए स्थल पर किसी पर्यावरणीय स्वीकृत रीति में होगा और पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों को जलाना या भष्मीकरण अनुज्ञात नहीं होगा ।

(10) **जैव चिकित्सीय अपशिष्ट-** पारिस्थितिक संवेदी जोन में जैव चिकित्सीय अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण, और वन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.का.आ.630 (अ) तारीख 20 जुलाई, 1998 द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सीय अपशिष्ट (प्रबंध और हथालन) नियम, 1998 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(11) **यानीय परिवहन** - परिवहन की यानीय गतिविधियां आवास के अनुकूल विनियमित होंगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध अधिकथित किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार से सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होने तक, पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति प्रवृत्त नियमों और विनियमों के अनुसार यानीय गतिविधियों के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

4. **पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित क्रियाकलापों की सूची** - पारिस्थितिक संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के उपबंधों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई तालिका में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :-

सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	टीका-टिप्पणी
(1)	(2)	(3)
प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप :		
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर की खदान और उनको तोड़ने की इकाइयां ।	(क) सभी प्रकार के खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर की खानें और उनको तोड़ने की इकाइयां वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं के सिवाय नहीं होंगी ; (ख) खनन संक्रियाएं, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडाबर्मन थिरूमूलपाद बनाम भारत सरकार के मामले में आदेश तारीख 4.8.2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत सरकार के मामले में तारीख 21.04.2014 के अंतरिम आदेश के अनुसरण में सर्वदा प्रचालन होगा ।
2.	आरा मशीनों की स्थापना ।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मशीनों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
3.	जल या वायु या मृदा या ध्वनि प्रदूषण कारित करने वाले उद्योगों की स्थापना ।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नए और विद्यमान प्रदूषण कारित करने वाले का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
4.	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
5.	नए बृहत जल विद्युत परियोजना का स्थापना ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
6.	किसी परिसंकटमय पदार्थों का उपयोग या	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।

	उत्पादन ।	
7.	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में अनुपचारित बहिर्स्राव और ठोस अपशिष्टों का निस्सारण ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
8.	पर्यटन से संबंधित क्रियाकलाप जैसे गर्म वायु गुबारों आदि द्वारा अभ्यारण क्षेत्र के ऊपर से उड़ना जैसे क्रियाकलाप करना ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
विनियमित क्रियाकलाप		
9.	नए काष्ठ आधारित उपयोग ।	पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमाओं के भीतर नए काष्ठ आधारित उद्योगों की स्थापना को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा: परंतु विद्यमान काष्ठ आधारित उद्योग तब तक जारी रह सकेंगे जब तक तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन उन्हें प्रतिषिद्ध नहीं कर दिया जाता है ।
10.	होटलों और रिसोर्टों की स्थापना ।	पारिस्थितिकी के अनुकूल पर्यटन कार्यकलापों से संबंधित पर्यटकों के लिए अस्थायी अवास के सिवाए संरक्षित क्षेत्रों की सीमा के 1 किलोमीटर के भीतर नए वाणिज्यिक होटलों और रिसोर्टों की स्थापना अनुज्ञात नहीं होगी। परंतु 1 किलोमीटर से परे और पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक सभी नए पर्यटन कार्यकलापों या विद्यमान कार्यकलापों के विस्तार पर्यटन मास्टर प्लान और राष्ट्रीय वाघ संरक्षण प्राधिकरण के दिशा-निर्देशों के अनुरूप होंगे ।
11.	संनिर्माण क्रियाकलाप ।	संरक्षित क्षेत्रों की सीमा से 1 किलोमीटर के भीतर किसी नए वाणिज्यिक संनिर्माण को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा: परंतु स्थानीय व्यक्तियों को उनके आवासीय उपयोग के लिए उनकी भूमि में संनिर्माण जिसके अंतर्गत पैरा 3 के उपपैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलाप भी हैं, को करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा । (ख) प्रदूषण कारित न करने वाले लघु उद्योगों से संबंधित संनिर्माण कार्यकलापों को लागू नियमों और विनियमों के अनुसार, यदि कोई हों तो, सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा से अनुज्ञात किया जाएगा । (ग) 1 किलोमीटर से परे पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक सद्भावपूर्वक स्थानीय आवश्यकताओं के लिए संनिर्माण को अनुज्ञात किया जाएगा । अन्य वाणिज्यिक संनिर्माण कार्यकलापों को जोनल मास्टर प्लान के अनुसार अनुज्ञात किया जाएगा । (घ) पारिस्थितिक संवेदी जोन में संनिर्माण क्रियाकलाप आंचलिक महायोजना के अनुसार होंगे ।
12.	वृक्षों की कटाई ।	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में किंहीं वृक्षों की कटाई नहीं होगी ।

		(ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होगी ।
13.	वाणिज्यिक जल संसाधन जिसके अंतर्गत भू-जल संचयन भी है ।	(क) भूमि के अधिभोगी के वास्तविक कृषि और घरेलू खपत के लिए जल का निष्कर्षण (सतही और भूमिगत जल) अनुज्ञात होगा । (ख) औद्योगिक, वाणिज्यिक उपयोग के लिए सतही और भूमिगत जल का निष्कर्षण के लिए संबंधित विनियामक प्राधिकरण पूर्व लिखित अनुज्ञा अपेक्षित होगी जिसके अंतर्गत कितने परिणाम में वह निष्कर्षण करेगा, भी है । (ग) सतही या भूजल का विव्रय अनुज्ञात नहीं होगा । (घ) जल के संदूषण या प्रदूषण, जिसके अंतर्गत कृषि भी है, को रोकने के लिए सभी उपाय किए जाएंगे ।
14.	विद्युत केबलों और दूरसंचार टावरों का परिनिर्माण ।	भूमिगत केबलों को अनुज्ञात किया जा सकेगा ।
15.	होटलों और लॉज के विद्यमान परिसरों में बाड़ लगाना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
16.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण ।	उचित पर्यावरण समाघात निर्धारण और न्यूनिकरण उपाय यथा लागू अनुसार होंगे ।
17.	रात्रि में यानिक यातायात का संचलन ।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होंगे ।
18.	विदेशी प्रजातियों को लाना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
19.	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
20.	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में उपचारित बहिर्साव का निस्सारण ।	उपचारित बहिर्साव के पुनर्चक्रण को प्रोत्साहित करना और अबमल या ठोस अपशिष्टों के निपटान के लिए विद्यमान विनियमों का अनुपालन करना होगा ।
21.	वाणिज्यिक साइनबोर्ड और होर्डिंग ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
22.	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग ।	पारिस्थितिक संवेदी जोन से गैर प्रदूषण, गैर परिसंकटमय, लघु और सेवा उद्योग, कृषि उद्यान, कृषि या कृषि आधारित देशीय माल से औद्योगिक उत्पादों का उत्पादन उद्योग और जो पर्यावरण पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं डालते हैं ।
23.	वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
24.	वायु और यानिक प्रदूषण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
25.	होटलों और लॉजों के परिसरों में बाड़ लगाना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
26.	दुकानदारों द्वारा पोलिथीन बैगों का उपयोग ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
संवर्धन किए जा रहे कार्यकलाप		
27.	स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।

	और बागवानी प्रथाओं के साथ पशुपालन, पशुपालन कृषि, जल कृषि और मछली पालन ।	
28.	वर्षा जल संचयन ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाए ।
29.	जैविक खेती ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाए ।
30.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाए ।
31.	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर आदि भी हैं ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाए ।
32.	नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग ।	जैविक गैस, सोलर लाइट इत्यादि को बढ़ावा दिया जाए ।

5. मानीटरी समिति- (1) केंद्रीय सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रभावी मानीटरी के लिए एक मानीटरी समिति का गठन करेगी जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात् :-

(क)	कलक्टर, अमरावती	अध्यक्ष
(ख)	कलक्टर, अकोला का प्रतिनिधि	सदस्य
(ग)	कलक्टर, बुलधाना का प्रतिनिधि	सदस्य
(घ)	पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों का महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक वर्ष के लिए नामनिर्दिष्ट एक प्रतिनिधि -	सदस्य
(ङ)	प्रादेशिक अधिकारी महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,	सदस्य
(च)	क्षेत्र का ज्येष्ठ कर्खा योजनाकार	सदस्य
(छ)	पर्यावरण विभाग, महाराष्ट्र सरकार का एक प्रतिनिधि	सदस्य
(ज)	पारिस्थितिकी और पर्यावरण के क्षेत्र में राज्य के ख्याती प्राप्त प्रतिष्ठान या विश्वविद्यालय से महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक वर्ष के लिए नामनिर्दिष्ट एक विशेषज्ञ	सदस्य
(झ)	उप वन परिरक्षक, पश्चिम मेलघाट प्रभाग	सदस्य
(ञ)	उप वन परिरक्षक, अकोट वन्य जीव प्रभाग	सदस्य
(ट)	उप वन परिरक्षक, अकोला प्रभाग	सदस्य
(ठ)	उप वन परिरक्षक, बुलधाना प्रभाग	सदस्य
(ड)	क्षेत्र निदेशक मेलघाट बाघ आरक्षित का प्रतिनिधि	सदस्य
(ढ)	उप वन परिरक्षक, पूर्वी मेलघाट प्रभाग	सदस्य

निर्देश निबंधन

(2) मानीटरी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में के अधीन सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित राज्य स्तरीय पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण निकासी के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी ।

(4) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के

२४९६ GI/15-3

अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा ।

(5) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध कलक्टर या संरक्षित क्षेत्र का प्रभारी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा ।

(6) मानीटरी समिति मुद्दों के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी ।

(7) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक की अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के मुख्य वन्य जीव वार्डन को **उपबंध IV** में उपबंधित रूप विधान के अनुसार उक्त वर्ष के 30 जून तक प्रस्तुत करेगी ।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए समय-समय पर ऐसे निदेश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे ।

6. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभाव देने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगे ।

7. माननीय भारत के उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा पारित कोई आदेश या पारित होने वाले किसी आदेश, यदि कोई हों, के अधीन, इस अधिसूचना के उपबंध होंगे ।

[फा. सं. 25/45/2014-ईएसजेड/आरई]

डॉ. जी. वी. सुब्रह्मण्यम, वैज्ञानिक 'जी'

उपबंध I

प्रस्तावित मेलघाट बाघ आरक्षित पारिस्थितिकीय संवेदी जोन की सीमा का वर्णन

उत्तर :	तापी नदी महाराष्ट्र - मध्यप्रदेश की सीमा कक्ष सं० 567 से कक्ष सं. 457 नजदीक सुमिता ग्राम तत्पश्चात् कक्ष सं. 457, 459, 460, 462 और 463 की उत्तरी सीमा के साथ साथ और खांदू नदी, कक्ष सं. 466, 477 और 479 की उत्तरी और पूर्वी सीमा के साथ तथा कक्ष सं. 420, 419, 418, 327, 329, 330, 333, की उत्तरी सीमा, कक्ष सं. 334, 403, 402, 400, 398, की पश्चिमी सीमा, 398 और 399 की उत्तरी और पूर्वी सीमा कक्ष सं. 336, की उत्तर पूर्वी सीमा उत्तरी, उत्तर-पूर्वी सीमा, पूर्वी और दक्षिणी सीमा विद्यमान मेलघाट बाघ आरक्षित का बहुउपयोगी क्षेत्र । 1220, 1218, 1217, 1216 की उत्तरी सीमा कक्ष सं. 1298, 1289, 1290 की पश्चिमी सीमा जो ग्राम छेदों के नजदीक है, ग्राम रानी गांव और कंजोली की उत्तरी सीमा और कक्ष सं. 1172] 1151] 1152] 1154] 1155] 1164 की उत्तरी सीमा 1163] 1209 कक्ष सं. की पश्चिमी सीमा तथा मेलघाट वन प्रभाग के कक्ष सं. 1209, 1210, 1212, 1213 और 1214 की उत्तरी सीमा । पूर्वोक्त वर्णित सभी कक्ष जो सीमा के साथ हैं, को पूर्णतया मेलघाट पारिस्थितिकी संवेदी जोन में शामिल किया गया है ।
पूर्व :	कक्ष सं. 309 की उत्तर और पूर्वी सीमा, कक्ष सं. 308 की पूर्वी सीमा, पूर्वी मेलघाट वन्य खंड के कक्ष सं. 307, 306, 305, 304, 303, 301, 300, 299, 200, 199 से मध्य प्रदेश की सीमा के साथ और कक्ष सं. 77, 82, 81, 80, 55, 54, पूर्वी, कक्ष सं. 53 की दक्षिण पूर्वी और दक्षिण सीमा कक्ष सं. 49 की दक्षिण सीमा, कक्ष सं. 47, 46 की पूर्वी सीमा, कक्ष सं. 22 की दक्षिण पूर्वी और दक्षिण सीमा कक्ष सं. 26 की पूर्वी सीमा पूर्व मेलघाट खंड की कक्ष सं. 27 की पूर्वी और दक्षिण सीमा उपरोक्त वर्णित सभी कक्ष सीमा के साथ मेलघाट पारिस्थितिक संवेदी जोन में पूर्णतः सम्मिलित है ।

दक्षिण	खोंगडा से वास्तापुर रोड के साथ पूर्वी मेलघाट वन्य प्रखंड के कक्ष सं.950 की पूर्वी सीमा और पूर्वी मेलघाट वन्य प्रखंड के कक्ष सं.950 की दक्षिण सीमा, कक्ष सं. 951 की पूर्वी और दक्षिणी सीमा और पूर्वी मेलघाट प्रखंड के कक्ष सं.952 की दक्षिणी सीमा और पश्चिम मेलघाट प्रखंड के कक्ष सं.958, 957, 956, 963, 962, 964, 971, 970 ग्राम पोपटखेड़ तक पाथर नाला के साथ कक्ष का 1020.1021 की पूर्वी सीमा और ग्राम पोपटखेड़, मलकापुर (भील), खासगांव, धारूर (रामापुर), सरफाबाद, कसोद (शिवपुर), आलमपुर, पिंपरी (खुर्द), यदलापुर, खैरखेड़, चितलवाड़ी, खंडाला, बोराड़ी, करला, बतरखेड़ की दक्षिण ग्राम सीमाएं, अकोला जिला के अकोला वन्य प्रखंड की वान नदी तक, पिंगली, साइंरबेड की पूर्वी ग्राम सीमा, बुलधाना जिला के बुलधाना वन्य प्रखंड के कक्ष सं. 365 की दक्षिण सीमा उपरोक्त वर्णित सभी कक्ष.....सम्मिलित हैं ।
पश्चिम :	कक्ष सं. 365 की पश्चिमी सीमा और बुलधाना वन्य प्रखंड कक्ष सं.364, 363 की उत्तरी सीमा और अम्बाबरवा वन्यजीव अभ्यारण के 362, 360, 359, 352 की पश्चिमी सीमा, पश्चिम मेलघाट वन्य प्रखंड के कक्ष सं.1219,1220, कक्ष सं.895, 741, 740, 739, 737, 738, 734, 748, 846, 845, 836, 835, 754, 753, 749 के साथ मेलघाट बाघ संरक्षित की विद्यमान बाहरी सीमा और कक्ष सं. 635 से 657 तक सिपना नदी के साथ सीमा और ग्राम रंगुबेली के पास कक्ष सं.658,664, 663, 662, 590, 578, 577, 576, 569, 568 और 567 की पश्चिमी सीमा उपरोक्त वर्णित.....सम्मिलित है ।

उपाबंध-II

अक्षांश और देशांतर सहित ग्रामों की सूची

क्रम सं०	प्रभाग का नाम	तालुका	ग्राम का नाम	अक्षांश			देशांतर		
				डि०	मि०	सें	डि०	मि०	सें
1	सिपना वन्यजीव प्रभाग प्रातवाड़ा	चिखालदारा	घाना	पू० 77	28	37	30 21	34	21
2			खादूखेड़ा	पू० 77	27	08	30 21	34	45
3			चूंखाड़ी	पू० 77	24	59	30 21	34	31
4			खादीमल	पू० 77	25	47	30 21	36	32
5			अवागड़	पू० 77	27	50	30 21	35	54
6			मेहरियम	पू० 77	27	26	30 21	37	04
7			जरिदा	पू० 77	29	00	30 21	38	18
8			कामिदा	पू० 77	29	05	30 21	38	54
9			बारूगाभन	पू० 77	29	52	30 21	40	14
10			मारीत	पू० 77	23	16	30 21	40	04
11			एकताई	पू० 77	18	25	30 21	44	04
12			सिमोरी	पू० 77	20	50	30 21	44	25
13			चिलती	पू० 77	2	02	30 21	42	29
14			रुड़पथर	पू० 77	18	54	30 21	42	13
15			सरवरखेदा	पू० 77	16	49	30 21	42	20
16			हत्रू	पू० 77	19	00	30 21	40	38
17			कुही	पू० 77	19	14	30 21	41	33
18			डोमी	पू० 77	16	16	30 21	41	09
19			भूट्टम	पू० 77	16	45	30 21	43	01

क्रम सं०	प्रभाग का नाम	तालुका	ग्राम का नाम	अंक्षांश			देशांतर		
				डि०	मि०	सें	डि०	मि०	सें
20			एकताई	पू० 77	15	48	30 21	39	30
21			खोकमार	पू० 77	12	45	30 21	40	19
22			खांदा	पू० 77	09	22	30 21	40	39
23			कुण्ड	पू० 77	10	50	30 21	43	16
24			रंगुबेली	पू० 77	08	00	30 21	42	57
25			घोकड़ा	पू० 77	09	15	30 21	41	36
25 ग्राम									
26	गुगामल वन्यजीव प्रभाग प्रातवाड़ा	चिखलदरा	तरुबंडा	पू० 77	08	41	30 21	27	57
27			केली	पू० 77	10	48	30 21	29	30
28			चिखली	पू० 77	07	33	30 21	30	20
29			पाटकाहु	पू० 77	07	01	30 21	28	58
30			हरीसाल	पू० 77	06	40	30 21	32	06
31			टंगड़ा	पू० 77	05	22	30 21	35	45
32			चौरकुण्ड	पू० 77	06	26	30 21	36	34
33			रक्षा	पू० 77	06	01	30 21	27	39
34			भीरोजा	पू० 77	09	22	30 21	30	09
35			घड़गभाँड़ू	पू० 77	00	23	30 21	26	40
36			सवार्य	पू० 77	02	20	30 21	26	07
37			भाँड़ू	पू० 77	01	04	30 21	25	30
38			केसआरपुर	पू० 77	08	21	30 21	30	04
39			दभिया	पू० 77	59	51	30 21	25	31
14ग्राम									
40	पश्चिम मेलघाट प्रातवाड़ा	लदरा	खटकाली	पू० 77	05	58	30 21	15	53
41		चिखलदरा	अहद	पू० 77	05	07	30 21	13	23
42		धरणी	गोलाई	पू० 76	53	11	30 21	18	45
43		धरणी	मोथखेड़ा	पू० 76	51	27	30 21	18	57
44		धरणी	भीरोटी	पू० 76	40	12	30 21	19	08
45		धरणी	धुलघाट	पू० 76	44	11	30 21	17	41
46		चिखलदरा	अमोना	पू० 76	59	40	30 21	13	33
47		चिखलदरा	तलाई	पू० 76	48	41	30 21	15	35
48		धरणी	पलासकुंडी	पू० 76	43	29	30 21	17	16
49		धरणी	रानिगाओ	पू० 76	46	26	30 21	18	02
50		धरणी	कंजोली	पू० 76	49	54	30 21	19	00
51		धरणी	चेन्डो	पू० 76	43	29	30 21	18	20
12 ग्राम									

क्रम सं०	प्रभाग का नाम	तालुका	ग्राम का नाम	अंकांश			देशांतर		
				डि०	मि०	सें	डि०	मि०	सें
52	पूर्व मेलघाट प्रभाग चिखलदरा	चिखलदरा	अमजरी	पू० 77	20	07	30 21	26	06
53			मरिउमपुर	पू० 77	18	59	30 21	24	53
54			खटकाली	पू० 77	19	04	30 21	25	40
55			चिखलदरा	पू० 77	19	41	30 21	24	03
56			शाहपुर	पू० 77	20	06	30 21	25	03
57			बोरी	पू० 77	20	27	30 21	26	50
58			टेटू	पू० 77	20	27	30 21	26	50
59			मोजारी	पू० 77	18	23	30 21	22	27
60			बगलीगा	पू० 77	20	57	30 21	21	32
61			जामुन्नाला	पू० 77	23	32	30 21	25	50
62			अमजरी	पू० 77	20	16	30 21	23	46
63			मरिउमपुर	पू० 77	20	22	30 21	24	06
64			खटकाली	पू० 77	20	16	30 21	23	45
65			चिखलदरा	पू० 77	12	24	30 21	19	11
66			शाहपुर	पू० 77	13	58	30 21	19	43
67			बोरी	पू० 77	15	41	30 21	20	11
68			टेटू	पू० 77	11	14	30 21	18	54
69			मोजारी	पू० 77	20	17	30 21	28	24
70			बगलीगा	पू० 77	22	53	30 21	29	39
71			जामुन्नाला	पू० 77	19	49	30 21	21	03
72			अमजरी	पू० 77	18	56	30 21	20	59
73			मरिउमपुर	पू० 77	18	22	30 21	20	48
74			खटकाली	पू० 77	16	38	30 21	20	26
23 ग्राम									
75	बुलदना वन प्रभाग, बुलदना	संग्रामपुर	शिओनि	पू० 76	39	31	30 21	07	24
76			वासली	पू० 76	38	49	30 21	09	43
77			निमखेड़ी	पू० 76	18	32	30 21	09	35
78			छिचारी	पू० 76	40	41	30 21	09	36
79			सैखेद	पू० 76	42	48	30 21	08	49
80			अलेवाड़ी	पू० 76	41	04	30 21	10	06
81			पिंगलई (ब्ले)	पू० 76	44	12	30 21	09	36
82			हदयामल	पू० 76	39	03	30 21	08	48
83			कमोड (रीत)	पू० 76	44	31	30 21	10	41
9 ग्राम									


2896 GI/15-4

क्रम सं०	प्रभाग का नाम	तालुका	अंकांश	देशांतर
1	सूंधारखेड़	बुलदना	30-20 31 425	पू०-76.12.370
2	सवाला		30-20 35 417	पू०-76.13.541
3	भदोला		30-20 31.141	पू०- 76.14.163
4	वरंद		30-20 30 515	पू०- 76.16.452
5	गौंधानखेड़		30-20 31.405	पू०- 76.18.425
6	पिम्परखेड़		30-20 32 245	पू०- 76.16.445
7	डोंगरखंडाला		30- 20 29 170	पू०- 76 17 478
8	हनुमन्तखेड़		30- 20 33 329	पू०- 76 13 407
9	खेरदी		30- 20 28 539	पू०- 76 16 471
10	डोंगरशओली	चिखली	30- 20 28 083	पू०- 76 19 012
11	वैरगद		30- 20 28 475	पू०- 76 28 070
12	कर्वड		30- 20 27 295	पू०- 76 22 357
13	टाकारखेड़ हेलगा		30- 20 27 334	पू०- 76 24 557
14	अंधा		30-20 24 459	पू०- 76.18 498
15	बोरला		30- 20 30 539	पू०- 76 21 070
16	हरनी		30- 20 29 309	पू०- 76 26 208
17	चंदई		30- 20 25 537	पू०- 76 18 176
18	कोटखेड़	मोटाला	30- 20 28 043	पू०- 76 20 317
19	तरोदा		30- 20 35 416	पू०- 76 15 567
20	गिरोली		30- 20 38 362	पू०- 76 19 355
21	निमखेड़ी		30- 20 37 483	पू०-76 18 327
22	धमांगाओं		30- 20 39 118	पू०-76 18 120
23	कोथली		30- 20 38 329	पू०-76 15 563
24	पिम्पलगाओं नाथ		30- 20 39 193	पू०-76 19 563
25	चिंचखेड़ नाथ		30- 20 36 074	पू०-76 21 311
26	तारापुर		30- 20 36 313	पू०-76 18 009
27	खिरखेड़		30- 20 34 478	पू०-76 13 350
28	सहस्तरमुली	30- 20 36 578	पू०-76 14 32	
29	सरोला	खामगांव	30- 20 35 238	पू०-76 27 544
30	जहोदगा		30- 20 31 463	पू०-76 28 272
31	न्गज़री कु.		30- 20 31 159	पू०-76 29 185
32	न्गज़री बु.		30- 20 30 254	पू०-76 29 085
33	वज़हार		30- 20 33 009	पू०-76 29 151
34	पिम्पलेचोस		30- 20 35 427	पू०-76 24 003
35	बेलखेड़		30- 20 35 377	पू०-76 24 158

क्रम सं०	प्रभाग का नाम	तालुका	ग्राम का नाम	ग्राम बिन्दु समन्वयक
1	अकोला वन प्रभाग, अकोला	अकोट	भीली	3021°11'27.27" पू०76°54'26.84"
2			पिंपरी (ख)	3021°09'27.41" पू०76°58'09.58"
3			एदलापुर	3021°09'36.85" पू०76°56'57.00"
4			खैरखेड़	3021°09'57.87" पू०76°55'54.85"
5			सहनूर	3021°13'43.91" पू०77°02'20.54"
6			करहि (रूपगड)	3021°11'22.98" पू०76°57'41.03"
7			औरंगाबाद (रीत)	3021°07'08.62" पू०77°01'49.92"
8			आलमपुर (रीत)	3021°10'33.78" पू०76°59'29.88"
9			छिपी	3021°11'43.49" पू०76°56'29.72"
10			धोंडखार	3021°11'15.86" पू०76°55'40.49"
11			बोरवा	3021°11'04.99" पू०76°53'52.91"
12			चित्तलवाडी	3021°09'16.00" पू०76°54'42.14"
13			बोरादि (रीत)	3021°09'10.01" पू०77°01'55.10"
14			छिचारी	3021°10'40.10" पू०76°53'34.73"
15			दिवाजारी	3021°10'59.92" पू०76°51'32.66"
16			जरीबजार	3021°11'21.27" पू०76°50'35.73"
17			उमेश्वरी	3021°11'23.57" पू०76°49'59.36"
18			कार्ता	3021°08'36.14" पू०76°49'30.83"
19			पिपरखेड़	3021°08'36.14" पू०76°49'30.83"
20			वारि	3021°10'39.65" पू०76°48'02.68"
21			बड़खेड़	3021°09'34.46" पू०76°47'59.91"
22			भोंयपानी	3021°10'41.60" पू०76°49'59.38"
23			खंडाला	3021°11'08.03" पू०76°53'29.79"
24			चंदनपुर	3021°18'28.72" पू०76°53'06.25"
25			रहानपुर	3021°12'06.17" पू०77°02'10.77"
26			मलकापुर गोंद	3021°13'57.16" पू०77°03'33.51"
27			पोपतखेड़	3021°12'22.47" पू०77°04'30.44"
28			मलकापुर भील (रीत)	3021°12'57.88" पू०77°03'10.22"
29			खसगाओं (रीत)	3021°10'42.71" पू०77°03'10.22"
30			धरूर (रामपुर)	3021°09'58.36" पू०77°02'39.12"
31			सर्गाबाद (रीत)	3021°01'50.64" पू०77°24'35.88"
32			कसोड (शिवपुर)	3021°10'45.82" पू०77°00'58.14"
33			जीतपुर भील	3021°11'19.85" पू०76°57'24.54"
34			साहपुर	3021°11'13.69" पू०76°59'37.71"
35			जीतपुर रूपगड	3021°11'06.92" पू०76°58'43.36"

प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन का मानचित्र

उपाबंध - III



उपाबंध-IV

पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति-की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का प्रोफार्मा

1. बैठकों की संख्या और तारीख ।
2. बैठकों का कार्यवृत्त : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें। बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक अनुबंध में उपाबद्ध करें ।
3. जोनल मास्टर प्लान की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन मास्टर प्लान भी है।
4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए ब्यौहार किए गए मामलों का सारांश ।
5. ब्यौरों को उपाबंध के रूप में संलग्न किया जा सकेगा ।
6. ईआईए अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली क्रियाकलापों की संविक्षा के मामलों का सारांश ।
7. ईआईए के अधीन न आने वाली क्रियाकलापों की संविक्षा के मामलों का सारांश।
8. ब्यौरों को उपाबंध के रूप में संलग्न किया जा सकेगा ।
9. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश ।
10. महत्ता का कोई अन्य विषय ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th June, 2015

S.O. 1777(E).—The following draft of the notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the Public.

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forests and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jorbagh Road, Aliganj, New Delhi-110 003, or send it to the e-mail address of the Ministry at: - esz-mef@nic.in

Draft Notification

WHEREAS, Government of Maharashtra vide its Gazette Notification No.WLP-10.07/C.R.297/F-1, dated the 27th December, 2007, has declared 1500.49 square kilometer area of Melghat Tiger Reserve as critical tiger habitat under the provisions of section 38 (V) of Wildlife (Protection) Act, 1972 comprising of the following National Parks and Sanctuaries in the State of Maharashtra namely:-

- (i) Gugamal National Park (36128.06 ha), District Amravati,
- (ii) Wan Wildlife Sanctuary (21100.70 ha), District Amravati,
- (iii) Melghat Wildlife Sanctuary (78875.24 ha), District Amravati,
- (iv) Narnala Wildlife Sanctuary (1235.07 ha), District Akola and
- (v) Ambabarwa Wildlife Sanctuary (12711.42 ha), District Buldhana;

AND WHEREAS, the Government of Maharashtra vide its Gazette notification No. WLP-10-10/CP-139/F-1 Dated the 29th September, 2010, declared 1268.03 square kilometers (920.65 square kilometers forest area and 347.38 square kilometer non forest area) as a buffer zone of Melghat Tiger Reserve, under section 38 (V) of the Wildlife (Protection) Act, 1972;

AND WHEREAS, the area has a very high faunal and floral diversity and supports large number of wild animals such as Tiger, Leopard, Bison, Sloth bear, Forest owl and that the forests of the Tiger Reserve are varied and rich and are classified as Group-5 – Sub-Group 5A-Southern Tropical Dry deciduous forest as per Champion and Seth classification;

AND WHEREAS, the tiger reserve area is catchment of important rivers such as Tapti, Gadga, Sipna, Wan and has tribal villages having major population of tribals;

AND WHEREAS, the buffer zone of Melghat Tiger Reserve is required to be conserved from ecological and environmental point of view, to protect, propagate and develop wildlife therein or its environment;

AND WHEREAS, the extremely close vicinity of the above-mentioned National Parks and Sanctuaries which constitute the critical tiger habitat of Melghat Tiger Reserve to human habitation and ongoing developmental activities, necessitate the requirement of proper safeguards and control over such activities;

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the buffer area the extent and boundaries of which is specified in paragraph 1 of this notification around the critical tiger habitat of Melghat Tiger Reserve as Eco-sensitive Zone from ecological and environmental point of view and to prohibit industries, or class of industries and their operations or processes in the said Eco-sensitive Zone;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent of up to 10 kilometers from the boundary of Gugamal National Park, Melghat Sanctuary, Wan Sanctuary, Ambabarwa Sanctuary and Narnala Sanctuary in the state of Maharashtra as the Melghat Tiger Reserve Eco-Sensitive zone (hereinafter referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely:-

2896GE/15-5

1. Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone.- (1) The Eco-Sensitive Zone is spread over an area of 126803.67 hectare including villages in Dharni, Chikhaldara, Akot, Telhara, and Sangrampur Talukas of Amravati, Akola and Buldhana Districts and the boundary description of such Zone is given in **Annexure I**.

(2) The list of the villages falling within the Eco-sensitive Zone along with co-ordinates of the prominent points is annexed as **Annexure II**.

(3) The map of the Eco-sensitive Zone is annexed to this notification as **Annexure III**.

(4) The Eco-sensitive Zone includes both forest and non-forest areas as per details given below:

Sr. No.	District	Forest Area in ha.	Non Forest Area in ha.
1	Amravati	86696.56	12860.54
2	Akola	1932.43	15967.48
3	Buldhana	3436.50	5910.16
	Total	92065.49	34738.18

2. Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone.-

(1) The State Government shall, for the purpose of effective management of the Eco-sensitive Zone, prepare a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of final publication of this notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification.

(2) The said Plan shall be approved by the Competent Authority in the State Government.

(3) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(4) As the buffer zone of the Melghat Tiger Reserve is part of the Eco-sensitive Zone, the Tiger Conservation Plan relating to the buffer zone shall also be taken into consideration during the preparation of the Zonal Master Plan.

(5) The Zonal Master Plan shall be prepared with due involvement of all concerned State Departments, namely:-

- (i) Environment,
- (ii) Forest,
- (iii) Urban Development,
- (iv) Tourism,
- (v) Municipal,
- (vi) Revenue,
- (vii) Agriculture
- (viii) Maharashtra State Pollution Control Board,
- (ix) Irrigation
- (x) Public Works Department

for integrating environmental and ecological considerations into it.

(6) The Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing legal land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(7) The Zonal Master plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(8) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, village and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area such as parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies.

(9) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone so as to ensure eco-friendly development for securing livelihood of local communities.

3. **Measures to be taken by State Government.**-The State Governments shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) **Land use.** - Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or industrial related development activities:

Provided that the conversion of agricultural lands within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the State Government, to meet the residential needs of local residents, and for the activities listed against serial numbers 10, 16, 22, 28, and 31 in column (2) of the Table in paragraph 4, namely:-

- (i) Eco-friendly cottages for temporary occupation of tourists, such as tents, wooden houses, etc. for Eco-friendly tourism activities,
- (ii) Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads,
- (iii) Small scale industries not causing pollution,
- (iv) Rainwater harvesting, and
- (v) Cottage industries including village industries, convenience stores and local amenities:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change:

Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph:

Provided also that there shall be no consequential reduction in green area, such as forest area and agricultural area and efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas as per buffer zone management plan of the Melghat Tiger Reserve.

(2) **Natural springs.**-The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

(3) **Tourism.**- (a) The activity relating to tourism within the Eco-sensitive Zone shall be as per Tourism Master Plan, which shall form part of the Zonal Master Plan.

(b) The Tourism Master Plan shall be prepared by Department of Tourism, Government of Maharashtra in consultation with Department of Revenue and Forests, Government of Maharashtra.

(c) The activity relating to tourism shall be as under, namely:-

(i) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority, (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development and based on carrying capacity study of the Eco-sensitive Zone;

(ii) new construction of hotels and resorts shall not be permitted within one kilometer from the boundary of the Gugamal National Park, Melghat Sanctuary, Wan Sanctuary, Ambabarwa Sanctuary and Narnala Sanctuary except for accommodation for temporary occupation of tourists related to Eco-friendly tourism activities:

Provided that beyond the distance of one kilometer from the boundary of the Sanctuary till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be permitted only in designated areas for Eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan;

(iii) till the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee.

(4) **Natural heritage.**- All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and preserved and plan shall be drawn up for their protection and conservation, within six months from the date of publication of this notification and such plan shall form part of the Zonal Master Plan.

(5) **Man-made heritage sites.**- Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be identified in the Eco-sensitive Zone and plans for their conservation shall be prepared within six months from the date of publication of this notification and incorporated in the Zonal Master Plan.

(6) **Noise pollution.**- The Environment Department of the State Government shall draw up guidelines and regulations for the control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made thereunder.

(7) **Air pollution.**- The Environment Department of the State Government shall draw up guidelines and regulations for the control of air pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made thereunder.

(8) **Discharge of effluents.**- The discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974) and the rules made thereunder.

(9) **Solid wastes.** - Disposal of solid wastes shall be as under:-

(i) the solid waste disposal in Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Municipal Solid Waste (Management and Handling) Rules, 2000 published by the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests *vide* notification number S.O. 908 (E), dated the 25th September, 2000 as amended from time to time;

(ii) the local authorities shall draw up plans for the segregation of solid wastes into biodegradable and non-biodegradable components;

(iii) the biodegradable material shall be recycled preferably through composting or vermiculture;

(iv) the inorganic material shall be disposed of in an environmentally acceptable manner.

(10) **Bio-medical waste.**- The Bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Bio-Medical Waste (Management and Handling) Rules, 1998 published by the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests *vide* notification number S.O. 630(E), dated the 20th July, 1998 as amended from time to time.

(11) **Vehicular traffic.** - The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan till the Zonal Master Plan is approved by the Competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

4. **List of activities prohibited or to be regulated within the Eco-sensitive Zone.**- All activities in the Eco sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made thereunder, and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

S.No.	Activity	Remarks
(1)	(2)	(3)
Prohibited activities		
1.	Commercial Mining, stone quarrying and crushing units.	(a) New mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units shall be prohibited with immediate effect except for the domestic needs of <i>bona fide</i> local residents with reference to digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing for personal consumption. (b) The mining operations shall strictly be in accordance with the interim order of the Hon'ble Supreme Court dated 04.08.2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad

		Vs. UOI in W.P.(C) No. 202 of 1995 and order of the Hon'ble Supreme Court dated 21.04.2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Setting up of saw mills.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
3.	Setting up of industries causing water or air or soil or noise pollution.	No new or expansion of polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall be permitted.
4.	Commercial use of firewood.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
5.	Establishment of new major hydroelectric projects.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
6.	Use or production of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
7.	Discharge of untreated effluents and solid waste in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
8.	Undertaking activities related to tourism like over-flying the National Park Area by aircraft, hot-air balloons	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
Regulated activities		
9.	New wood based industry.	No establishment of new wood based industry shall be permitted within the limits of Eco-sensitive Zone: Provided that new wood-based industry may be set up in the Eco-sensitive Zone using 100 % imported wood stock.
10.	Establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the protected area except for accommodation for temporary occupation of tourists related to eco-friendly tourism activities: Provided that beyond one kilometer and upto the extent of the Eco-sensitive Zone all new tourism activities or expansions of existing activities should be in conformity with the Tourism Master Plan and National Tiger Conservation Authority guidelines.
11	Construction activities	(a) No new commercial construction of any kind shall be permitted within one kilometer from the boundary of the protected area: Provided that local people shall be permitted to undertake construction in their land for their residential use including the activities listed in sub-paragraph (1) of paragraph 3. (b) The construction activity related to small scale industries not causing pollution shall permitted, as per applicable rules and regulations, if any, with the prior permission from the competent authority. (c) Beyond one kilometer and upto the extent of Eco sensitive Zone, construction for bona fide local needs shall be permitted and other commercial (d) construction activities shall be in confronting with the Zonal Master Plan.
12.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees on the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with

2896 GE/15-6

		the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made thereunder.
13.	Commercial water resources including ground water harvesting.	(a) The extraction of surface water and ground water shall be permitted only for <i>bona fide</i> agricultural use and domestic consumption of the occupier of the land. (b) extraction of surface water and ground water for industrial or commercial use including the amount that can be extracted, shall require prior written permission from the concerned regulatory authority; (c) No sale of surface water or ground water shall be permitted. (d) Steps shall be taken to prevent contamination or pollution of water from any source including agriculture.
14.	Erection of electrical cables and telecommunication towers.	Promote underground cabling.
15.	Fencing of existing premises of hotels and lodges.	Regulated under applicable laws.
16.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Shall be done with proper Environment Impact Assessment and mitigation measures, as applicable.
17.	Movement of vehicular traffic at night.	For commercial purpose, under applicable laws.
18.	Introduction of exotic species.	Regulated under applicable laws.
19.	Protection of hill slopes and river banks.	Regulated under applicable laws.
20.	Discharge of treated effluents in natural water bodies or land area.	Recycling of treated effluent shall be encouraged and for disposal of sludge or solid wastes shall be in confronting with the applicable.
21.	Commercial Sign boards and hoardings.	Regulated under applicable laws.
22.	Small scale industries not causing pollution.	Non polluting, non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous goods from the Eco-sensitive Zone, and which do not cause any adverse impact on environment shall be permitted.
23.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest Produce (NTFP).	Regulated under applicable laws.
24.	Air and vehicular pollution.	Regulated under applicable laws.
25.	Fencing premises of hotels and lodges.	Regulated under applicable laws.
26.	Use of polythene bags.	Regulated under applicable laws.
Promoted activities		
27.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted under applicable laws.
28.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
29.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
30.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
31.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
32.	Use of renewable energy sources	Bio gas, solar light etc shall be promoted.

5. Monitoring Committee:-

(1) The Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, for effective monitoring of the Eco-sensitive Zone, which shall comprise of the following, namely:-

- (a) Collector, Amravati - Chairman
- (b) Representative of Collector, Akola - Member
- (c) Representative of Collector, Buldhana,- Member
- (d) A representative of Non-governmental Organizations working in the field of environment (including heritage conservation) to be nominated by the Government of Maharashtra for a term of one year in each case - Member
- (e) Regional Officer, Maharashtra State Pollution Control Board, - Member
- (f) Senior Town Planner of the area - Member
- (g) A representative of the Department of Environment, Government of Maharashtra - Member
- (h) One expert in the area of ecology and environment from reputed Institution or University of the State to be nominated by the Government of Maharashtra for a term of one year in each case- Member
- (i) Deputy Conservator of Forests, West Melghat Division -Member
- (j) Deputy Conservator of Forests, Akot Wildlife Division -Member
- (k) Deputy Conservator of Forests, Akola Division -Member
- (l) Deputy Conservator of Forests, Buldhana Division -Member
- (m) Representative of Field Director, Melghat Tiger Reserve - Member
- (n) Deputy Conservator of Forests, East Melghat Division -Member Secretary.

Terms of Reference:

- (2) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.
 - (3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.
 - (4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned Regulatory Authorities.
 - (5) The Member Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Collector(s) or the concerned park Deputy Conservator of Forests or the Field Director, Melghat Tiger Reserve shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.
 - (6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from Industry Associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.
 - (7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on 31st March of every year by 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden of the State as per pro forma appended at **Annexure IV**.
 - (8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.
6. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.
7. The provisions of this Notification shall be subject to the orders, if any, passed, or to be passed, by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or National Green Tribunal.

[F. No. 25/45/2014-ESZ-RE]

Dr. G. V. SUBRAHMANYAM, Scientist 'G'

ANNEXURE I

Limits and boundaries of the proposed Eco-sensitive Zone of Melghat Tiger Reserve

North :	Tapi river Maharashtra – Madhya Pradesh boundary from compartment Nos. 567 up to compartment No. 457 near Sumita village, thereafter along the northern boundary of compartment 457,459,460,462 and 463 and along Khandu river, northern and eastern boundary of compartment 466,477 and 479 and northern boundary of compartment 420,419,418,327,329,330,333, western boundary of compartment 334,403,402,400,398, northern and eastern boundary of compartment No. 398 and 399 north eastern boundary of 336, northern north eastern, eastern and southern boundary 338, of multiple use area of existing melghat tiger reserve. Northern boundary of compartment NO. 1220,1218,1217,1216, western boundary of compartment Nos. 1298,1289,1290 near village Chendo, northern boundary of village Ranigaon and Kanjoli and northern boundary of compartment Nos. 1172,1151,1152,1154,1155,1164 western boundary compartment Nos. 1163, 1209 and northern boundary of compartment No. 1209,1210,1212,1213 and 1214 of west melghat forest division. All the compartments mentioned above along the boundary, are wholly included in the Melghat Eco-sensitive Zone.
East :	Eastern boundary of compartment Nos. 318,317 and 313 and 310 north and eastern boundary of compartment No. 309 eastern boundary of compartment No. 308 then along Madhya Pradesh border from Compartment Nos. 307,306,305,304,303,301,300,299,201,200,199 of east Melghat forest division and Compartment Nos. 77,82,81,80,55,54 eastern, south eastern and southern boundary of compartment No.53 southern boundary of compartment No. 49 eastern boundary of compartment No. 47,46 eastern, South eastern and southern boundary of compartment NO. 22 eastern boundary of compartment No. 26, eastern and southern boundary of compartment No. 27 of east melghat division. All the compartment mentioned above along the boundary, are wholly included in the Melghat Eco-sensitive Zone.
South :	Along with Wastapur to Khongada road, eastern boundary of compartment Nos. 950 of east melghat forest division and southern boundary of compartment No. 950 of east melghat forest division eastern and southern boundary of compartment No. 951 and east melghat division southern boundary of compartment No. 952 and west melghat division compartment Nos. 958,957,956,963,962,964,971,970 eastern boundary of 1020, 1021 and along with Pather nala upto village Popatkhed and southern village boundaries of village Popatkhed, Malkapur (Bhil), Khasgaon, Dharur (Ramapur), Sarfabad, Kasod (Shivpur), Alampur, Pimpri (Khurd), Yadlapur, Khairkhed, Chitalwadi, Khandala, Boradi, Karla, Batkhed, upto wan river of Akola forest division of Akola district, eastern village boundary of Pingli, Saikhed southern boundary of Alewadi, Vasali, Hadyamal, Shivani along with southern boundary of compartment No. 365 of Buldhana forest division of Buldhana District. All the compartments mentioned along the boundary are wholly included in the Melghat Eco-sensitive Zone.
West :	Western boundary of compartment No. 365, and northern boundary of compartment Nos. 364,363 of Buldhana forest division and western boundary of 362,360,359,352 of Ambabarwa Wildlife Sanctuary, compartment Nos. 1219,1220 of west Melghat forest division, Existing outer boundary of Melghat Tiger Reserve along with compartment No. 895,741,740,739,737,738,734,748,846,845,836,835,754,753,749 and boundary along with river Sipna from compartment Nos. 635 to 657 and western boundary of compartment Nos. 658,664,663,662,590,578,577,576,569,568 and 567 near village Rangubeli. All the compartment mentioned along the boundary are wholly included in the Melghat Eco-sensitive Zone.

Annexure II

List of Village along with latitudes and longitudes

Sr.No.	Name of Division	Taluka	Name of Village	Longitude			Latitude		
				Deg.	Min.	Sec.	Deg.	Min.	Sec.
1	Sipna Wildlife Division Paratwada	Chikhaldara	Ghana	E 77	28	37	N 21	34	21
2			Khandukheda	E 77	27	08	N 21	34	45
3			Chunkhadi	E 77	24	59	N 21	34	31
4			Khadimal	E 77	25	47	N 21	36	32
5			Awagad	E 77	27	50	N 21	35	54
6			Mehrium	E 77	27	26	N 21	37	04
7			Jarida	E 77	29	00	N 21	38	18
8			Kamida	E 77	29	05	N 21	38	54
9			Barugavhan	E 77	29	52	N 21	40	14
10			Marita	E 77	23	16	N 21	40	04
11			Surita	E 77	18	25	N 21	44	04
12			Ektai	E 77	20	50	N 21	44	25
13			Simori	E 77	2	02	N 21	42	29
14			Chilati	E 77	18	54	N 21	42	13
15			Ruipathar	E 77	16	49	N 21	42	20
16			Sarwarkheda	E 77	19	00	N 21	40	38
17			Hatru	E 77	19	14	N 21	41	33
18			Kuhi	E 77	16	16	N 21	41	09
19			Domi	E 77	16	45	N 21	43	01
20			Bhutrum	E 77	15	48	N 21	39	30
21			Khokmar	E 77	12	45	N 21	40	19
22			Khamda	E 77	09	22	N 21	40	39
23			Kund	E 77	10	50	N 21	43	16
24			Rangubeli	E 77	08	00	N 21	42	57
25			Ghokda	E 77	09	15	N 21	41	36
25 Villages									
26	Gugamal Wildlife Division Paratwada	Chikhaldara	Tarubanda	E 77	08	41	N 21	27	57
27			Keli	E 77	10	48	N 21	29	30
28			Chikhali	E 77	07	33	N 21	30	20
29			Patkahu	E 77	07	01	N 21	28	58
30			Harisal	E 77	06	40	N 21	32	06
31			Tangada	E 77	05	22	N 21	35	45
32			Chaurakund	E 77	06	26	N 21	36	34
33			Raksha	E 77	06	01	N 21	27	39

2896 GI/15-7

Sr.No.	Name of Division	Taluka	Name of Village	Longitude			Latitude		
				Deg.	Min.	Sec.	Deg.	Min.	Sec.
34			Bhiroja	E 77	09	22	N 21	30	09
35			Ghadgabhandum	E 77	00	23	N 21	26	40
36			Sawarya	E 77	02	20	N 21	26	07
37			Bhandum	E 77	01	04	N 21	25	30
38			Kesarpur	E 77	08	21	N 21	30	04
39			Dabhiya	E 77	59	51	N 21	25	31
14 Villages									
40	West Melghat Division Paratwada	Chikhaldara	Khatkali	E 77	05	58	N 21	15	53
41		Chikhaldara	Ahad	E 77	05	07	N 21	13	23
42		Dharni	Golai	E 76	53	11	N 21	18	45
43		Dharni	Mothkheda	E 76	51	27	N 21	18	57
44		Dharni	Bhiroti	E 76	40	12	N 21	19	08
45		Dharni	Dhuighat	E 76	44	11	N 21	17	41
46		Chikhaldara	Amona	E 76	59	40	N 21	13	33
47		Chikhaldara	Talai	E 76	48	41	N 21	15	35
48		Dharni	Palaskundi	E 76	43	29	N 21	17	16
49		Dharni	Ranigao	E 76	46	26	N 21	18	02
50		Dharni	Kanjoli	E 76	49	54	N 21	19	00
51		Dharni	Chendo	E 76	43	29	N 21	18	20
12 Villages									
52	East Melghat Division Chikhaldara	Chikhaldara	Amzari	E 77	20	07	N 21	26	06
53		Mariumpur	E 77	18	59	N 21	24	53	
54		Khatkali	E 77	19	04	N 21	25	40	
55		Chikhaldara	E 77	19	41	N 21	24	03	
56		Shahapur	E 77	20	06	N 21	25	03	
57		Bori	E 77	20	27	N 21	26	50	
58		Tetu	E 77	20	27	N 21	26	50	
59		Mozari	E 77	18	23	N 21	22	27	
60		Bagiinga	E 77	20	57	N 21	21	32	
61		Jamunnala	E 77	23	32	N 21	25	50	
62		Lawada	E 77	20	16	N 21	23	46	
63		Aladoh	E 77	20	22	N 21	24	06	
64		Pandhari	E 77	20	16	N 21	23	45	
65		Girguti	E 77	12	24	N 21	19	11	
66		Ambapati	E 77	13	58	N 21	19	43	
67		Jamling	E 77	15	41	N 21	20	11	
68		Khongda	E 77	11	14	N 21	18	54	
69		Lonazari	E 77	20	17	N 21	28	24	

Sr.No.	Name of Division	Taluka	Name of Village	Longitude			Latitude		
				Deg.	Min.	Sec.	Deg.	Min.	Sec.
			(Masondi)						
70			Bhawai	E 77	22	53	N 21	29	39
71			Wastapur	E 77	19	49	N 21	21	03
72			Kulangna (kh)	E 77	18	56	N 21	20	59
73			Kulangna (BK)	E 77	18	22	N 21	20	48
74			Chinchkheda	E 77	16	38	N 21	20	26
23 Villages									
75	Buldhana Forest Division Buldhana	Sangrampur	Shioni	E 76	39	31	N 21	07	24
76			Wasali	E 76	38	49	N 21	09	43
77			Nimkhedi	E 76	18	32	N 21	09	35
78			Chichari	E 76	40	41	N 21	09	36
79			Saikhed	E 76	42	48	N 21	08	49
80			Alewadi	E 76	41	04	N 21	10	06
81			Pinglai (BK)	E 76	44	12	N 21	09	36
82			Hadyamal	E 76	39	03	N 21	08	48
83			Kamod (Rith)	E 76	44	31	N 21	10	41
9 Villages									

S. no.	Name of Village	Taluka	Latitude	Longitude
1	Sundharkhed	Buldana	N-20 31 425	E-76.12.370
2	Sawala		N-20 35 417	E-76.13.541
3	Bhadola		N-20 31.141	E- 76.14.163
4	Warand		N-20 30 515	E- 76.16.452
5	Gondhankhed		N-20 31.405	E- 76.18.425
6	Pimparkhed		N-20 32 245	E- 76.16.445
7	Dongarkhandala		N- 20 29 170	E- 76 17 478
8	Hanumantkhed		N- 20 33 329	E- 76 13 407
9	Kherdi		N- 20 28 539	E- 76 16 471
10	Dongarsheoli	Chikhali	N- 20 28 083	E- 76 19 012
11	Vairagad		N- 20 28 475	E- 76 28 070
12	Karwand		N- 20 27 295	E- 76 22 357
13	Takarkhed helga		N- 20 27 334	E- 76 24 557
14	Andhai		N-20 24 459	E- 76.18 498
15	Borala		N- 20 30 539	E- 76 21 070
16	Harni		N- 20 29 309	E- 76 26 208
17	Chandhai	N- 20 25 537	E- 76 18 176	
18	Kotkhed	Motala	N- 20 28 043	E- 76 20 317
19	Taroda		N- 20 35 416	E- 76 15 567
20	Giroli		N- 20 38 362	E- 76 19 355
21	Nimkhedi		N- 20 37 483	E-76 18 327
22	Dhamangaon		N- 20 39 118	E-76 18 120
23	Kothali		N- 20 38 329	E-76 15 563
24	Pimpalgaon nath		N- 20 39 193	E-76 19 563


2096 G/15-8

25	Chinchkhed nath	Khamgaon	N- 20 36 074	E-76 21 311
26	Tarapur		N- 20 36 313	E-76 18 009
27	Khirkhed		N- 20 34 478	E-76 13 350
28	Sahastramuli		N- 20 36 578	E-76 14 32
29	Sarola		N- 20 35 238	E-76 27 544
30	Zhodga		N- 20 31 463	E-76 28 272
31	Ngzari Ku.		N- 20 31 159	E-76 29 185
32	Ngzari Bu.		N- 20 30 254	E-76 29 085
33	Wzhar		N- 20 33 009	E-76 29 151
34	Pimpalechos		N- 20 35 427	E-76 24 003
35	Belkhed		N- 20 35 377	E-76 24 158

Sr. No.	Name of Division	Taluka	Name of Village	Village Point Co-ordinate
1	Akola Forest Division, Akola	Akot	Bhili	N21°11'27.27" E76°54'26.84"
2			Pimpri (Kh)	N21°09'27.41" E76°58'09.58"
3			Yedlapur	N21°09'36.85" E76°56'57.00"
4			Khairkhed	N21°09'57.87" E76°55'54.85"
5			Sahanoor	N21°13'43.91" E77°02'20.54"
6			Karhi (Rupagad)	N21°11'22.98" E76°57'41.03"
7			Aurangabad (Rith)	N21°07'08.62" E77°01'49.92"
8			Alampur (Rith)	N21°10'33.78" E76°59'29.88"
9			Chipi	N21°11'43.49" E76°56'29.72"
10			Dhondakhar	N21°11'15.86" E76°55'40.49"
11			Borwa	N21°11'04.99" E76°53'52.91"
12			Chittalwadi	N21°09'16.00" E76°54'42.14"
13			Boradi (Rith)	N21°09'10.01" E77°01'55.10"
14			Chichari	N21°10'40.10" E76°53'34.73"
15			Diwazari	N21°10'59.92" E76°51'32.66"
16			Zaribajar	N21°11'21.27" E76°50'35.73"
17			Umreshwari	N21°11'23.57" E76°49'59.36"
18			Karla	N21°08'36.14" E76°49'30.83"
19			Piparkhed	N21°08'36.14" E76°49'30.83"
20			Wari	N21°10'39.65" E76°48'02.68"
21			Badkhed	N21°09'34.46" E76°47'59.91"
22			Bhoypani	N21°10'41.60" E76°49'59.38"
23			Khandala	N21°11'08.03" E76°53'29.79"
24			Chandanpur	N21°18'28.72" E76°53'06.25"
25			Rahanapur	N21°12'06.17" E77°02'10.77"
26			Malkapur Gond	N21°13'57.16" E77°03'33.51"
27			Popatkhed	N21°12'22.47" E77°04'30.44"
28			Malkapur Bhil (Rith)	N21°12'57.88" E77°03'10.22"
29			Khasgaon (Rith)	N21°10'42.71" E77°03'10.22"
30			Dharur (Rampur)	N21°09'58.36" E77°02'39.12"
31			Sarfabad (Rith)	N21°01'50.64" E77°24'35.88"
32			Kasod (Shivpur)	N21°10'45.82" E77°00'58.14"
33			Jitapur Bhil	N21°11'19.85" E76°57'24.54"
34			Sahapur	N21°11'13.69" E76°59'37.71"
35			Jitapur Rupagad	N21°11'06.92" E76°58'43.36"

Annexure III

Map of Eco-sensitive Zone of Melghat Tiger Reserve



Annexure IV

Proforma of Action Taken Report: - Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.-

1. Number and date of Meetings
2. Minutes of the meetings: Mention main noteworthy points. Attached Minutes of the meeting on separate Annexure.
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record. Details may be attached as Annexure
5. Summary of cases scrutinized for activities covered under Environment Impact Assessment Notification, 2006. Details may be attached as separate Annexure.
6. Summary of case scrutinized for activities not covered under Environment Impact Assessment Notification, 2006. Details may be attached as separate Annexure.
7. Summary of complaints lodged under Section 19 of Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.

